R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 7 ♦ जनवरी 2018

वित्तीय बाजार विनियमन

विदेशी बाजारों में कमोडिटी मूल्य जोखिम और माल-भाड़ा जोखिम की हेजिंग पर प्रारूप निदेश

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में कमोडिटी मूल्य जोखिम और माल-भाड़ा जोखिम के हेजिंग पर प्रारूप निदेश 12 जनवरी 2018 को जारी किए। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से प्रारूप निदेशों पर अभिमत 31 जनवरी 2018 तक आमंत्रित किए गए हैं।

अभिमतों की बड़ी संख्या और व्यापक विविधता पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि अभिमतों के लिए प्रारूप निदेशों को को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाए। प्रारूप निदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित है:

(i) हेजिंग की मात्रा और अवधि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार ग्राहक को देना (प्राधिकृत व्यापारी बैंक की संतुष्टि के अधीन)

(ii) चयनित धातुओं के लिए परोक्ष मूल्य जोखिम की हेजिंग की सुविधा शुरू करना।

पृष्ठभूमि

6 दिसंबर 2017 के विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य के अनुसार, निवासियों द्वारा पण्य-वस्तु मूल्य जोखिम की हेजिंग पर कार्यसमूह (अध्यक्षः श्री चंदन सिन्हा) की रिपोर्ट फीडबैंक हेतु सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई थी तथा संशोधित निदेश 15 जनवरी 2018 तक जारी किए जाने थे।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=42848)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

मास्टर निदेश – भारत में विदेशी निवेश

रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2018 को भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश जारी किया जिसमें प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अपने ग्राहकों/संघटकों के साथ किए जाने वाले विदेशी मुद्रा कारोबार के तौर-तरीकों को निर्धारित किया गया जिससे कि बनाए गए विनियमों को लागू किया जा सके। फेमा के अंतर्गत भारत में विदेशी निवेश और इससे संबंधित पहलुओं पर जारी अनुदेशों को इस मास्टर निदेश में संकलित किया गया है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=11200)

बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण

समान अवसर क्षेत्र देने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 4 जनवरी 2018 को भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/ सहयोगी कंपनियों को सार्वजनिक स्तर के नवरत्न तथा महारत्न श्रेणी के उपक्रमों तथा उच्च दर्जा प्राप्त (एएए) कंपनियों (कॉर्पोरेट्स) के बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का पुनर्वित्तपोषण करने की अनुमति दी, बशर्ते मूल उधार की बकाया परिपक्वता को घटाया न जाए और नई ईसीबी की समग्र लागत मौजूदा ईसीबी से कम हो। मौजूदा ईसीबी के आंशिक पुनर्वित्तपोषण के लिए भी कतिपय शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाएगी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11198Mode=0)

बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2016-2017 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट 19 दिसंबर 2017 को जारी की।

विषय सूची

	पृष्ठ
वित्तीय बाजार विनियमन	
• विदेशी बाजारों में कमोडिटी मूल्य जोखिम और माल-भाड़ा जोखिम की हेजिंग पर प्रारूप निदेश	1
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
• मास्टर निदेश भारत में विदेशी निवेश	1
• बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तपोषण	1
मुद्रा प्रबंध	
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न डिज़ाइनों के ₹10 के सिक्कों के वैध मुद्रा दर्जे को पुनः दोहराया	2
बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई	2
भुगतान और निपटान प्रणालियां	
• डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को तर्कसंगत बनाना	2
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2017 जारी की	3
मिन्ट स्ट्रीट मेमो	
• बैंकों से क्रेडिट की गैर-मध्यस्थता क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार परिपक्व हो गया है?	4
भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2016-17	4

मुद्रा प्रबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न डिज़ाइनों के ₹10 के सिक्कों के वैध मुद्रा दर्जे को पुनः दोहराया

रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2018 को स्पष्ट किया कि रिज़र्व बैंक भारत सरकार के नियंत्रणाधीन टकसालों द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में लाता है। इन सिक्कों में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विभिन्न विषयों को दर्शाते हैं तथा इन्हें समय-समय पर जारी किया गया है।

चूंकि सिक्कों की जीवन लंबा होता है, इसलिए विभिन्न डिज़ाइनों और आकारों के सिक्के बाजार में एक ही समय प्रचलन में रहते हैं। अब तक रिज़र्व बैंक 14 डिज़ाइनों में ₹ 10 के सिक्के जारी कर चुका है तथा आम जनता को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के बारे में प्रेस प्रकाशनियों (सूची संलग्न) के माध्यम से सूचित किया गया है। ये सभी सिक्के वैध मुद्रा है तथा इन्हें लेनदेन के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

रिज़र्व बैंक ने विगत में प्रेस प्रकाशनी (20 नवंबर 2016) भी जारी की थी जिसमें आम जनता से अनुरोध किया गया था कि वे बिना किसी झिझक के अपने सभी लेनदेनों में ₹ 10 मूल्यवर्ग के सिक्के स्वीकार करना जारी रखें।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को भी सूचित किया है कि वे लेनदेनों के लिए इन सिक्कों को स्वीकार करें तथा अपनी शाखाओं में इनका विनिमय करें।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कतिपय स्थानों पर ₹ 10 के सिक्कों के असलीपन के बारे में संदेह के कारण व्यापारियों और आम जनता में उन्हें स्वीकार करने के बारे में अनिच्छुकता है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=42887)

मुख्य बातें

- बैंकिंग लोकपाल के 20 कार्यालयों द्वारा 1,30,987 शिकायतें प्राप्त की गईं।
- गत वर्ष की तुलना में शिकायतों की संख्या में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने 92% की निपटान दर बनाई रखी।
- बैंकिंग लोकपाल द्वारा 31 अधिनिर्णय जारी किए गए।
- बैंकिंग लोकपाल के अधिनिर्णय/निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण के पास 15 अपीलें प्राप्त हुईं।
- प्राप्त शिकायतों में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफलता, उचित व्यवहार संहिता के गैर-अनुपालन, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बी.सी.एस.बी.आई) से संबंधित शिकायतें सर्वाधिक रही जो कुल मिलाकर प्राप्त शिकायतों के 34 प्रतिशत रहीं।
- प्राप्त शिकायतों का 12.5% एटीएम/डेबिट कार्ड की शिकायतें रहीं।
- प्राप्त शिकायतों का 6.4% क्रेडिट कार्ड की शिकायतें रहीं।
- अन्य शिकायतें पेंशन(6.5%), पूर्व सूचना दिए बिना शुल्क लगाना(5.6%), जमा खाते (5.5%), ऋण और अग्रिम (4.2%), विप्रेषण(2.5%) संवर्गों की थीं।
- बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों द्वारा 185 शिकायतें भारत सरकार के (सीपीजीआरएजीएस) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुईं।
- 616 आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुए।
- एक शिकायत को निपटाने का औसत व्यय ₹ 3780 रहा।
- बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने योजना के प्रति जागरूकता फैलाने, विशेषकर उनके क्षेत्राधिकार के ग्रामीण और अर्धनगरीय क्षेत्रों में जागरूकता अभियान/आउटरीच कार्यक्रम, टाउन हॉल, विज्ञापन अभियान का आयोजन किया।

योजना

बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के अंतर्गत 14 जून 1995 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की गई। योजना का लक्ष्य और उद्देश्य आम बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं में कमियों से संबंधित शिकायतों के लिए एक त्वरित और लागत मुक्त निवारण तंत्र प्रदान करना था, जिसके अभाव में उन्हें अदालतों जैसे किसी अन्य निवारण मंच तक पहुंचने में कठिनाई होती है या अत्यधिक लागत लगती है। यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लागू है। योजना में लागू किए जाने के बाद कई संशोधन किए गए हैं। 1 जुलाई 2017 तक संशोधित की गई बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, (बीओएस) फिलहाल प्रभावी है। विशिष्ट राज्यवार अधिकार क्षेत्र के साथ 20 बैंकिंग लोकपाल कार्यालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर रहे हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=42609)

भुगतान और निपटान प्रणालियां

डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को तर्कसंगत बनाना

रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2017 को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर डेबिट कार्डों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) का तर्कसंगत बनाया:

क. टर्नओवर के आधार पर व्यापारियों के वर्गीकरण;

ख. क्यूआर- कोड आधारित लेनदेनों के लिए एक पृथक एमडीआर को अपनाना; और

ग. 'कार्ड प्रेजेंट' और 'कार्ड नॉट प्रेजेंट' दोनो ही लेनदेनों के लिए अधिकतम स्वीकार्य एमडीआर की सीमा तय करना।

''प्रारूप परिपत्र - डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) को तर्कसंगत बनाना'' पर हितधारकों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर और साथ ही व्यापारियों के एक बड़े समूह, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों द्वारा डेबिट कार्ड स्वीकृति को बढ़ावा देने और इसमें शामिल संस्थाओं के लिए व्यापार की संधारणीयता को सुनिश्चित करने के दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार, डेबिट कार्ड लेनदेनों के लिए अधिकतम एमडीआर निम्नानुसार होगा:

क्र. सं.	मर्चेंट श्रेणी	डेबिट कार्ड लेन-देनों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट दर (एमडीआर) (लेनदेन के मूल्य के प्रतिशत के रूप में)	
		ऑनलाइन कार्ड लेनदेनों सहित पीओएस से संबन्धित इन्फ्रास्ट्रक्चर	क्यूआर- कोड आधारित कार्ड स्वीकृति से संबन्धित इन्फ्रास्ट्रक्चर
1.	छोटे व्यापारी (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹20 लाख रुपये तक के टर्नओवर के साथ)	0.40 प्रतिशत से अधिक नहीं (प्रति लेनदेन ₹200 की एमडीआर की अधिकतम सीमा)	0.30 प्रतिशत से अधिक नहीं (प्रति लेनदेन ₹200 की एमडीआर की अधिकतम सीमा)
2.	अन्य व्यापारी (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹20 लाख रुपये से अधिक का टर्नओवर)	0.90 प्रतिशत से अधिक नहीं (प्रति लेनदेन ₹1000 की एमडीआर की अधिकतम सीमा)	0.80 प्रतिशत से अधिक नहीं (प्रति लेनदेन ₹1000 की एमडीआर की अधिकतम सीमा)

रिज़र्व बैंक ने पुनः दोहराया है कि बैंक और प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क संशोधित निदेशों का कड़ाई से पालन करें और सुनिश्चित करें कि व्यापारी पर अधिरोपित एमडीआर उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दरों की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो, चाहे व्यापारी के स्थान पर कार्ड स्वीकृति इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने वाली संस्था कोई भी क्यों न हो।

बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा ऑन बोर्ड किए गए व्यापारी डेबिट कार्डों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करते समय अपने ग्राहकों पर एमडीआर प्रभार हस्तांतरित न करें। ये अनुदेश 1 जनवरी 2018 से प्रभावी होंगे।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11183Mode=0)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2017 जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 दिसंबर 2017 को अपने छमाही और श्रृंखला का 16वां प्रकाशन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) दिसंबर 2017 जारी किया।

एफएसआर भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और वैश्विक और घरेलू कारकों से उत्पन्न जोखिमों के प्रति इसके लचीलेपन पर समग्र आकलन प्रदर्शित करती है। यह रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करती है।

प्रणालीगत जोखिमों का समग्र आकलन

भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर है। फेडरल रिज़र्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा मौद्रिक नीति को सामान्य करने के प्रयासों के बावजूद, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिति उदार है। पण्य-वस्तुओं की गुंजाइश बढ़ रही है। बढ़े हुए भौगोलिक-राजनीतिक जोखिम पण्य-वस्तुओं की कीमतों में संभावित अस्थिरता की ओर संकेत करते हैं।

वैश्विक और घरेलू समष्टि-वित्तीय जोखिम

- वैश्विक अर्थव्यवस्था ने गति हासिल की है और वृद्धि की गति संधारणीय प्रतीत हो रही है। उभरते बाजारों के संदर्भ में, वैश्विक वृद्धि के सहारे निर्यात छह वर्षों में अपनी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं।
- संरचनागत बदलाव के मामले में, सूचना प्रौद्योगिकी प्रेरित वृद्धि संभवतः विश्व को थोड़ा ज्यादा असमान बना रही है।
- विमुद्रीकरण से राष्ट्रव्यापी वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) के रोल-आउट से जुड़े प्रारंभिक अवरोधों के बाद वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में घरेलू वृद्धि में सुधार हुआ।
- समग्र निवेश परिवेश चुनौतीपूर्ण है, हालांकि स्थिति ने वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में सुधार दर्शाया है। सुधार के सकारात्मक संकेत 'वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में रुकी हुई परियोजनाओं की संख्या और लागत में कमी', सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास, कारोबारी करने की सहजता रैंकिंग, मुडीज द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को बढ़ाना तथा बैंकों के पुनर्पूंजीकरण घोषणा से आने वाली तिमाहियों में निवेश भावनाओं को काफी प्रोत्साहन मिलना संभावित है।
- विमुद्रीकरण की शुरुआत में चलनिधि स्थिति में विस्तार होने से इक्विटी और ऋण म्यूच्युअल फंडों में असाधारण निधि प्रवाह हुआ। पूंजी बाजार में विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) प्रवाह में उछाल रहा जिसमें ऋण के लिए अधिक प्राथमिकता रही।

वित्तीय संस्थाएं: कार्यनिष्पादन और जोखिम

- बैंकिंग क्षेत्र के लिए समग्र जोखिम परिसंपत्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण बना हुआ है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की क्रेडिट वृद्धि ने मार्च और सितंबर 2017 के बीच सुधार दिखाया है,जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अपने निजी क्षेत्र के सहयोगियों के पीछे रह गए हैं।
- बैंकिंग क्षेत्र के सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात और दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात में मार्च 2017 और सितंबर 2017 के बीच वृद्धि हुई।
- दबाव परीक्षण से पता चलता है कि आधारभूत परिदृश्य में, बैंकिंग क्षेत्र का जीएनपीएस सितंबर 2017 में सकल अग्रिम के 10.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 में 10.8 प्रतिशत और आगे सितंबर 2018 तक 11.1 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
- परिसंपत्ति (आरओए) पर एससीबी रिटर्न मार्च और सितंबर 2017 के बीच 0.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहे जबकि पीएसबी ने नकारात्मक मुनाफा अनुपात रिकॉर्ड करना जारी रखा है।
- समग्र रूप से, जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) को पूंजी मार्च 2017 और सितंबर 2017 के बीच 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गई।
- कुल एससीबी ऋण साथ ही जीएनपीए दोनों में बड़े ऋण लेने वालों की हिस्सेदारी में मार्च और सितंबर 2017 के बीच गिरावट आई है।
- एनबीएफसी क्षेत्र के जीएनपीए कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में मार्च 2017 और सितंबर 2017 के बीच बढ़े।
- नेटवर्क विश्लेषण से पता चलता है कि बैंकिंग प्रणाली में अंतर-संबंधिता की डिग्री 2012 से धीरे-धीरे घट गई है। संयुक्त शोधन क्षमता-चलनिधि संसर्ग विश्लेषण से पता चलता है कि बैंक की चूक के कारण होनेवाले नुकसान में गिरावट आई है।

बड़े वित्तीय प्रणाली के परिप्रेक्ष्य से, एससीबी प्रबल घटक रहे जिनकी हिस्सेदारी द्विपक्षीय एक्सपोजर में 47 प्रतिशत रही, इनके बाद म्यूचुअल फंड (एएमसी-एमएफ), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), बीमा

कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) का प्रबंधन करनेवाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=42642)

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2016–17

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 दिसंबर 2017 को 2016–17 में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर सांविधिक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट 2016–17 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन और प्रमुख नीतिगत उपायों को प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में सहकारी बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का विश्लेषण भी किया गया है।

रिपोर्ट उन प्रमुख चुनौतियों की ओर इशारा करती है जिनसे भारत में वित्तीय क्षेत्र के दृष्टिकोण को आकार मिलना संभावित है, जिनमें शामिल हैं:–

i. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में लगातार सुधार के तहत दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान;
ii. ऋण वृद्धि को फिर से बल देने के लिए बैंक के तुलन–पत्रों को सुदृढ़ बनाना;
iii. लेखांकन व्यवहारों में कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बैंकों के लिए मजबूत लेखा मानकों का विकास करना;
iv. विभेदीकृत बैंकिंग को बढ़ावा देना तथा थोक और दीर्घकालिक वित्तपोषण तक इसके विस्तार के लिए संभावना की तलाश करना;
v. डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी–सक्षम वित्तीय सेवाओं का प्रबंधन करना; तथा
vi. वित्तीय प्रणाली के प्रतिरोध को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा जोखिमों का प्रबंधन करना।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=42643)

मिन्ट स्ट्रीट मेमो

बैंकों से क्रेडिट की गैर–मध्यस्थता क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार परिपक्व हो गया है?

रिज़र्व बैंक ने 3 जनवरी 2018 को मिन्ट स्ट्रीट मेमो सं.9 जारी किया जिसका विषय है – बैंकों से क्रेडिट की गैर–मध्यस्थता क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार परिपक्व हो गया है? इसे आर. अय्यप्पन नायर, एम.वी. मोघे और यशवंत बित्रा द्वारा लिखा गया है।

म्यूच्युअल फंडों के अंतर्वाह में काफी वृद्धि हुई और उनके उत्तरवर्ती नियोजन से भारत में गैर–मध्यस्थता की गुंजाइश में बदलाव हो रहा है। लेखक इस उभरती पृष्ठभूमि और सामान्य रूप से बैंक मध्यस्थता तथा विशेषरूप से बैंकों के क्रेडिट पोर्टफोलियो के लिए इसके निहितार्थ पर नजर डालता है। उन्होंने पाया कि (i) कॉर्पोरेट उधार धीरे–धीरे बैंकों से म्यूच्युअल फंडों में परिवर्तित हो रहा है जैसाकि निकट–निवेश ग्रेडो के लिए कॉर्पोरेट अंतर में हुए संकुचन में परिलक्षित हुआ है और (ii) जोखिम मुक्त दर और बैंकों की बेंचमार्क उधार दर अर्थात निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) में उल्लेखनीय अंतर जिससे गुणवत्ता कॉर्पोरेटों के लिए बैंक क्रेडिट की गैर–मध्यस्थता में वृद्धि हुई है।

परिचय

ऐतिहासिक रूप से, बैंकिंग क्षेत्र ने भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र के संसाधनों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है। तथापि, इसमें वर्तमान में चुनौती है क्योंकि क्रेडिट गैर–मध्यस्थता ने बैंकिंग चैनलों को बाइपास करके महत्वपूर्ण मात्रा एकत्र की है। वर्ष 2011 में, वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले क्रेडिट में बैंक ऋण की हिस्सेदारी लगभग 56 प्रतिशत थी और क्रेडिट के गैर–बैंक स्रोतों (वाणिज्यिक पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्डों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों) की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत थी। वर्ष 2017 तक यह उल्टी हो गई जिसमें बैंकों की हिस्सेदारी लगभग 38 प्रतिशत हो गई और गैर–बैंक स्रोतों की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत तक पहुंच गई।

गैर–मध्यस्थता: म्यूच्युअल फंड

म्यूच्युअल फंडों में संसाधनों के प्रवाह में जबरदस्त वृद्धि दर्शाती है कि भारत में वित्तीय बचतों के नियोजन के पैटर्न में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। चलनिधि का ऋण–उन्मुखी म्यूच्युअल फंडों में प्रवाह से मुद्रा बाजार म्यूच्युअल फंड (एमएमएमएफ) कोष में काफी बढ़ोतरी हुई है।

विश्लेषण

लेखकों ने उच्च रेटिंग वाले कॉर्पोरेटों की गैर–मध्यस्थता का विश्लेषण किया है जिन्हें इस कॉरिडोर में लाया जा सकता है। यह विश्लेषण सतत उधार (1 वर्ष) की अवधि को ध्यान में रखते हुए और ग्रेशोल्ड रेटिंग ग्रेडों की जांच करके जिनके ऊपर उधार को कॉरिडोर के अंदर रखा जा सकता है और रेटिंग ग्रेड को सतत रखकर तथा उस अवधि की जांच करके जहां तक रेटिंग ग्रेड को समायोजित किया जा सकता है, को ध्यान में रखकर किया गया है।

निष्कर्ष

कॉर्पोरेट क्रेडिट में बैंकों की गैर–मध्यस्थता में वृद्धि से हमारी वित्तीय प्रणाली जोखिम को आवंटन करने में मजबूत और अधिक सक्षम बन गई है। इस प्रक्रिया के गैर–इरादतन परिणाम संभवतः उच्चतर रेटिंग वाले उधारकर्ताओं के म्यूच्युअल फंडों में जाने से बैंकों को बाध्य कर सकते हैं कि वे अपने क्रेडिट मानकों को कम करें या ऐसे मूल्यनिर्धारण में शामिल हों जो वास्तव में उनकी निधि लागत को प्रतिलक्षित नहीं करता है। अच्छे बैंकिंग क्षेत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक संरचनागत सुधार करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसी समय, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को समर्थन देने वाले संरचनागत सुधार जैसे दिवाला और शोध अक्षमता संहिता (आईबीसी) से भारतीय उधारकर्ताओं के लिए गैर–बैंक वित्त को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/MSMšMintstreetmemos9.aspx)

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।